

::1::

प्ररूप 4

{ नियम 33ग (6) देखिए }

वर्जीनिया तम्बाकू की नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप

रजिस्ट्रीकरण संख्या

एक वर्ष के लिए विधिमान्य

----- से ----- तक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री -----पुत्र श्री -----
निवासी ग्राम-----तालुक-----जिला -----राज्य -----
मेसर्स ----- जो तम्बाकू बोर्ड के पास वर्जीनिया तम्बाकू नर्सरी उगाने वाले के रूप में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975
(1975 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नीचे दर्शित क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए
हैं, अर्थात:-

1. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) और इन नियमों और विनियमों का पालन करेगा;
2. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक ऐसे रजिस्ट्रों को बनाए रखेगा और ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो इन नियमों के अधीन उसके द्वारा बनाए रखने या प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित हैं;

::2::

3. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक ऐसे निदेशों / अनुबन्धों का पालन करेगा जो वर्जीनिया तम्बाकू के बीजोत्पन्न पौधों के उगाने की बाबत बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए;
4. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक केवल अनुमोदित किस्मों के बीजोत्पन्न पौधों को उगाएगा;
5. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक यह संसूचित करेगा कि नर्सरी मृदाणजन्य रोगों से मुक्त है और वह ऐसे पादप संरक्षण और सफाई प्रक्रियाओं को करेगा जो इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा निदेशित हो;
6. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक क्रेताओं को स्वस्थ बीजोत्पन्न पौधों को, जो 40 से 60 दिन तक के पुराने होंगे, प्रदान करेगा।

इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की विशिष्टियाँ:-

ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	विस्तार	किस्म

जोड़:

स्थान:

तारीख:

(रजिस्टर करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर)